


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण
दिनांक 11-1-2022 को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



राजस्थान सरकार अधिकाारी विजारा (अलवर) राज०
होलासीन अधिकाारी कानून सिध (आ००१०१११०)

अलवर कानून

अलवर कानून

राजस्थान -

होलासीन अधिकाारी कानून शींगवाहेडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज०)

प्राथी

कानून

होलासीन अधिकाारी कानून शींगवाहेडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज०)

कानून

कानून

होलासीन अधिकाारी कानून शींगवाहेडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज०)

होलासीन अधिकाारी कानून शींगवाहेडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज०)

अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

हल्का पट्टा नं० ५९ में प्रकरण इस प्रकार है कि प्राथी भुगजीर पुत्र रामसिंह जाति
होलासीन अधिकाारी कानून शींगवाहेडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज०) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है हाल आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.87 है 0 वाके
अलवर तहसील विजारा जिला अलवर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी व मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न है।
हलां हाल आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.87 है 0 जोकि प्राथी व अन्य सहखातेदार की कब्जा काशत
संयुक्त की आराजी है। प्राथी व अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की भूमि पर
काबिज व दाखिल है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शागलात का अंकन
हल्का रिकार्ड है। मिन प्राथी उक्त आराजी जो कि उसकी खातेदारी की भूमि है पर काबिज व दाखिल चला
आ रहा है। उक्त आराजी में प्राथी के हिस्से की आराजी के साथ अन्य पडौसीयान की आराजी है, जो
पडौसीयान आये दिन प्राथी के हिस्से की भूमि मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर विधि विरुद्ध तरीके से
मिन प्राथी खातेदारी की आराजी में जबरन घुसकर निर्माण का अपनी आराजी में मिलाने के लिए उतारू
रहे है। जिस बाबत प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार विजारा को आराजी की पैमाईश कराने
हेतु पेश किया। जिस पर श्रीमान् तहसीलदार ने हल्का पटवारी व कानूनगो को आदेशित किया। हल्का
पटवारी व कानूनगो जो कि तहसीलदार के आदेश कमांक/शिविर/एलआर/21/25.11.2021 की
अनुपालना में दिनांक 07.04.2022 को पहुँचे और आराजी खसरा नम्बर 59 की पैमाईश की तथा आराजी
खसरा नम्बर 73 की दक्षिणी डोट से 86 गट्टे जरीब चलाकर खसरा नम्बर 59 की अन्य डोल बताकर
निशानात लगाये एवं मौके पर निशानात से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। मौका पर्चा बनाया

पत्रावली नम्बर 59 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम टोहरा तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावै।
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर
रिपोर्ट दिनांक 07.04.2022 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम टोहरा
तिजारा जिला अलवर से लगती हुई आराजी के खातेदारो को सुनकर पत्थरगढी किये जाने के
आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फ़ैशल शुमार हो।
आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)